संख्या-23/2023/अमुस-330/एक-1-2023-रा0-1

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 10 अक्टूबर 2023**

विषयः ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-19/2023/710/एक-1-2023-1-1099/187/2022, दिनांक 24 अगस्त, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/ निजी संस्थाओं/न्यास को ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधन में निहित भूमि अग्रिम आदेशों तक पट्टे पर उपलब्ध नहीं कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंजाब के जनपद पटियाला के ग्राम रोहर जागीर में कतिपय दबंगों द्वारा तालाब पर अनधिकृत कब्जे के संबंध में योजित सिविल अपील नं0-1132/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विस्तृत आब्जर्बेशन करते हुए प्रकरण के संबंध में दिनांक 28-1-2011 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसका कार्यकारी अंश निम्नांकित है:

".....Before parting with this case we give directions to all the State Governments in the country that they should prepare schemes for eviction of illegal/unauthorized occupants of Gram Sabha/Gram Panchayat/Poramboke/Shamlat land and these must be restored to the Gram Sabha/Gram Panchayat for the common use of villagers of the village. For this purpose the Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories in India are directed to do the needful, taking the help of other senior officers of the Governments. The said scheme should provide for the speedy eviction of such illegal occupant, after giving him a show cause notice and a brief hearing. Long duration of such illegal occupation or huge expenditure in making constructions thereon or political connections must not be treated as a justification for condoning this illegal act or for regularizing the illegal possession. Regularization should only be permitted in exceptional cases e.g. where lease has been granted under some Government notification to landless labourers or members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, or where there is already a school, dispensary or other public utility on the land."

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से स्पष्ट है कि मा0 न्यायालय द्वारा ग्रामवासियों के सामान्य उपयोग की भूमि यानि खलिहान, चारागाह, तालाब, खेलकूद का मैदान, भीटा, चकरोड, नदी, नाला आदि सम्मिलित है, को संरक्षित किये जाने तथा अनधिकृत रूप से किए जा रहे कब्जे को रोकने के संबंध में निर्देश दिये गये है।

4. उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमियों पर अवैध कब्जे को रोकने/हटाये जाने तथा इसके अनुश्रवण के सम्बन्ध में समय-समय पर शासनादेश निर्गत किये गये हैं। मा0 न्यायालय द्वारा गाँव सभा की अन्य भूमि को राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के तहत विभिन्न प्रयोजनों हेतु देने पर कोई रोक नहीं लगायी है।

5. अस्तु, मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-1-2011 के प्रस्तर-15 में उल्लिखित आब्जर्बेशन के दृष्टिगत राजस्व विभाग द्वारा निर्गत त्रुटिपूर्ण शासनादेश संख्या-19/2023/710/एक-1-2023-1-1099/187/2022, दिनांक 24 अगस्त, 2023 को सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीय,
सुधीर गर्ग
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. निदेशक, सूचना, उ0प्र0 लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम रतन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।